



# बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14, फोन नं०-2223727, फैक्स नं०- 2224529 2224529

## अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या-9/2014

- निविदाकर्ता का पदनाम : मुख्य अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना। 2. निविदा कागजात डाउन लोड करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय 26-02-2014 के अपराह्न 11.00 बजे से। 3. निविदा कागजात डाउन लोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय 28-02-2014 को अपराह्न 17.00 बजे तक। 4. निविदा अप लोड करने की तिथि एवं समय : 03-03-2014 को अपराह्न 15.00 बजे तक। 5. निविदा की तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : 03-03-2014 को 15.30 बजे अपराह्न। 6. निविदा खोलने का स्थान-बेवसाईट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर। 7. निर्माण कार्य का व्योरा :-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु. में)	अग्रधन की राशि रु० में।	परिमाण विपत्र का मूल्य रु० में	कार्य समाप्ति की अवधि
<b>ई-निविदा से संबंधित कार्य :-</b>					
1.	पटना जिलान्तर्गत पीरबहोर थाना में नया थाना भवन का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	390.08	780200	26854	18माह
2.	पटना जिलान्तर्गत बिहटा में नागरिक सुरक्षा हेतु क्लास रूम एवं लाईब्रेरी का अवशेष निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	54.89	109800	11124	7 माह
3.	केशनगंज जिलान्तर्गत टाकूरगंज थाना में 6 एल0एस0आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	56.86	113800	11124	7 माह
4.	मधुपुरा जिलान्तर्गत बिहारीगंज थाना में ग्रेड-III थाना भवन का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	89.24	178500	15618	9 माह
5.	मधुवनी जिलान्तर्गत बेनीपट्टी में अनुमण्डलीय अग्निशामक भवन का निर्माण कार्य	114.00	228000	15618	7 माह
<p>8. 25 लाख से ऊपर की निविदा ई-टेंडरिंग पद्धति से प्राप्त की जायेगी। इस निविदा की अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के बेवसाईट <a href="http://www.bpbcc.co.in">www.bpbcc.co.in</a> /बेवसाईट <a href="http://www.eproc.bihar.gov.in">www.eproc.bihar.gov.in</a> तथा निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक-26-02-2014 के 11.00 बजे अपराह्न से प्राप्त की जा सकती है।</p> <p>9. उपरोक्त वर्णित कार्य की 2 करोड़ से उपर की निविदा S.B.D. के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त की जायेगी, जो निविदा 40 लाख से उपर की है वह द्वि-बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं 40 लाख से नीचे की निविदा एकल बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी।</p> <p>परिमाण विपत्र की निर्धारित राशि के अतिरिक्त 300 लाख से उपर के कार्य के लिए रु० 15,000/- + 12.36 प्रतिशत सेवा कर के रूप में, 70 लाख से उपर के कार्य के लिए रु० 5,000/- + 12.36 प्रतिशत सेवा कर के रूप में तथा 70 लाख से नीचे के कार्य के लिए रु० 1,000/- + 12.36 प्रतिशत परिमाण विपत्र के मूल्य के साथ ही शामिल कर लिया गया है जो वापस नहीं होगा।</p> <p><b>परिमाण विपत्र के मूल्य की राशि</b> राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो <b>अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पदनाम से पटना में भुगतान हो</b> दिनांक- 28-02-14 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायेगा।</p> <p><b>अग्रधन की राशि/ बैंक ड्राफ्ट मूल कागजात के साथ</b> बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्यालय कार्यालय में दिनांक- 03-03-14 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायेगा। ई-निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि ही मूल रूप में निगम कार्यालय में दिनांक 04.03.2014 के अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा, शेष किसी कागजात को स्वीकार नहीं किया जायेगा।</p> <p>10. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के समुचित कोटि के निर्बंधित संवेदक एवं अन्य सरकारी विभाग के निर्बंधित सम्वेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निर्बंधित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निर्बंधन कराना आवश्यक होगा।</p> <p>11. परिमाण विपत्र केवल उन्हीं सम्वेदकों को (प्रतिनिधि को नहीं) निर्गत किया जाएगा जो निम्न वर्णित अद्यतन अभिलेखों का अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे एवं उसकी मूल प्रति जाँच एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे :- वाणिज्य कर निर्बंधन प्रमाण-पत्र, बिक्री कर शोधन/श्रमिक निर्बंधन अनुज्ञप्ति, निर्बंधन प्रमाण-पत्र एवं जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा देय चरित्र प्रमाण-पत्र। विद्युतिकरण कार्य एवं विद्युतिकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतिकरण कार्य का लाईसेंस एवं पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। विद्युतिकरण कार्य के संवेदक को पार्टनर/सब कांस्ट्रक्टर के रूप में रखकर निविदा में भाग लिया जा सकता है।</p> <p>12. परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निविदादाता से Additional Performance guarantee के रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि एकरारनामा से पूर्व लिया जायेगा।</p> <p>13. किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी।</p> <p>14. जो संवेदक निविदा में भाग लेने से बंघित हैं (Debar), अथवा जिनके पास किसी कारणवश पूर्व से आवंटित कार्य लम्बित रहा है या जो आवंटित कार्य का एकरारनामा नहीं किए हैं या कार्य शुरू नहीं किए हैं, निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>15. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी। समुचित अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी। अग्रधन की राशि छः वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट अथवा, किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो मान्य होगा। इसके अतिरिक्त एक करोड़ से अधिक के निविदा हेतु बैंक गारंटी जो निविदा के मान्य अवधि तक के लिये बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, मान्य होगा।</p> <p>नोट :- ई-निविदा-पत्र <a href="http://www.eproc.bihar.gov.in">www.eproc.bihar.gov.in</a> से प्राप्त किया जा सकता है।</p>					

ह0/- मुख्य अभियंता, पटना।